# Mitch an Isua The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 5—Sub-section (i) भाषिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430) No. 430] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2008/भावण 14, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2008/SRAVANA 14, 1930

दिसा मंत्रालय (आर्थिक इत्यं विभाग) (ई एम अनुमार)

भारतीय रिजार्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यलय)

अधिसूचना

मुम्बई, 22 फरवरी, 2008 सं, फेमा 175/2008-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2008

सर,का.नि. 575(अ).—िवरंशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फरतीय रिवर्ज के विदेशी मुद्रा प्रबंध (धारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिमूति का अंतरण अधवा निर्गम) विनियमाधली, 2000 (भई 3, 2000 की अधिसूचना रहं छेमा 20/2000) में निज्ञालिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—
1. संक्रिया नाम और प्रारम्भ ;

- (i) ये विनिधम जिदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति ह्नाग प्रतिपृति का अंतरण अथवा निर्गम) (संसेधन) विनिधमावली, 2008 कहलाएँगे ।
- (ii) ये दिसम्बर, 2007 के 31 दिन से लागू समझे आएं। @
   2. विशियमावली में संलोधन :

विदेशी मुद्रा प्रवंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्णय) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000) में अनुसूची 2 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (5) के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् ;— "(6) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक समय-समय पर मारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा यथानुबद्ध शर्तों के अधीन प्रतिभृतियों की मंद्रिया बिक्री (शार्ट सेलिंग) साथ ही उधार देने और उधार लेने का कार्य कर सकते हैं।"

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-IV]

सलीम गंगाभरन, मुख्य महाप्रवंधक

पाद टिप्पणी,—@(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वध्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पहेगा (

(ii) मूल विभिवनावली सरकारी राजरत में दिनांक मई 8,
 2000 के सं. सा.का.नि. 406(अ) में माग-॥, खंड 3, उप-खंड
 (i) में प्रकाशित किए गए हैं और उत्परचात् निम्मानुसार संदोधित किए गए हैं :—

सं. सा.का.नि. 158(अ), दिनांक 2-3-2001

सं. सा.का.नि. 175(अ), दिनांक 13-3-2001

सं. सा.का.नि. 182(अ), दिनकि 14-3-2001

सं. सा.का.नि. 4(अ), दिनांक 2-1-2002

सं. सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 19-8-2002

सं. सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 18-3-2003

सं. सप्तका.नि. 225(अ), दिनांक 18-3-2003

सं, साका नि. 558(अ), दिनांक 22-7-2003

सं. सा.का.नि. 835(अ), दिनांक 23-10-2003

सं. सा.का.नि. 899(अ), दिनांक 22-11-2003

सं, सा.का.नि. 12(अ), दिलांक 7-1-2004

सं. सा.का.पि. 278( अ), दिनांक 23-4-2004

सं. सा.का.नि. 454(अ), दिनांक 16-7-2004

सं. सा.का.नि. 625(अ), दिनांक 21-9-2004

सं. सा.कर.नि. 799(अ), दिनांक 8-12-2004

सं. सा.का.नि. 201(अ), दिनांक !-4-2005

सं. सा.का.नि. 202(अ), दिनांक 1-4-2005

सं. सा.का.नि. 504(अ), दिनांक 25-7-2005

सं. सा.का.वि. 505(अ), दिनांक 25-7-2005

सं. सा.का.नि. 513(अ), दिनांक 29-7-2005

सं. सा.का.नि. 738(अ), दिनांक 22-12-2005

सं. सा.का.नि. 29(अ), दिनांक 19-1-2006

सं. सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 11-7-2006

सं. सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 14-11-2007

सं. सर.का.नि. 713(अ), दिनांक 14-11-2007

सं. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 29-11-2007

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(EM Section)

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd February, 2008

No. FEMA 175/2008-RB

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2008

G.S.R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Poreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:—

### 1. Short title and commencement:

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2008.
- (ii) These shall be deemed to have come into force from December 31, 2007, (a)

# 2. Amendment of the Regulations:

In the Forcign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FBMA 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000), in Schedule 2, in paragraph 1, after sub-paragraph (5), the following new paragraph shall be inserted, namely:—

"(6) A registered FII may, undertake short selling as well as lending and borrowing of securities subject

to such conditions as may be stipulated by the Reserve Bank of India and the SEBI from time to time."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

#### SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note.—@(i) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

(ii) The Principal Regulatinos were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

No.G.S.R.158(E), dated 2-3-2001

No. G.S.R. 175(E), dated 13-3-2001

No. G.S.R. 182(E), dated 14-3-2001

No. G.S.R. 4(E), dated 2-1-2002

No. G.S.R. 574(E), dated 19-8-2002

No. G.S.R. 223(E), dated 18-3-2003

No. G.S.R. 225(F), dated 18-3-2003

No. G.S.R. 558(E), dated 22-7-2003

No. G.S.R. 835(E), dated 23-10-2003

No. G.S.R. 899(E), dated 22-11-2003

No. G.S.R. 12(E), dated 7-1-2004

No. G.S.R. 278(E), dated 23-4-2004

No. G.S.R. 454(E), dated 16-7-2004

No. G.S.R. 625(B), dated 21-9-2004

No. G.S.R. 799(E), dated 8-12-2004

No. G.S.R. 201(E), dated 1-4-2005

No. G.S.R. 202(E), dated 1-4-2005

No. G.S.R. 504(E), dated 25-7-2005 No. G.S.R. 505(E), dated 25-7-2005

No. G.S.R. 513(E), dated 29-7-2005

No.G.S.R. 738(E), dated 22-12-2005

No. G.S.R. 29(E), dated 19-1-2006

No. G.S.R. 413(E), dated 11-7-2006

No. G.S.R. 712(E), dated 14-11-2007

No. G.S.R. 713(E), dated 14-11-2007

No. G.S.R. 737(E), dated 29-11-2007

#### अ**धि**सूचना

मुम्बई, 23 जुलाई, 2008

सं. फेमा 176/2008-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2008

सरा.का.नि. 576(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) और (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व केंक एतर्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं फेमा 23/आखी 2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (i) ये विनियम बिदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2008 कहे जाएँगे ।
- (ii) ये जून 3, 2008 से प्रभावी हो गए हैं, ऐसा माना जाएगा। @

# 2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (महल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/आरबी-2000) (इसके आगे "प्रधान विनियम" कहे जाएंगे) में निम्नलिखित संबोधन किए जाएंगे :---

- (i) विनियम (9) के उप-विनियम (1) मैं "छ: माह" की जगह "बारह माह" कर दिया जाएगा ।
- (ii) विकियम (9) के उप-विनियम (1) में कुरीय प्रावधान में, "छ: माह" की जगह "बारह माह" कर दिया जाएगा।
- (iii) विनियम 10 में, "छ: मह" की जगह "बस्ह मह" कर दिया जाएगा।
- (iv) अनुसूची में, जीआर, एसडीएक और पीपी कॉमों में जहां भी शब्द "क: माह" आया है उसे "बारह माह" कर दिया जाएगा ।
- (v) अनुसूची में, साफ्टबेयर निर्यात घोषणा (एसओएफटी इएक्स) फार्म में, जहां भी शब्द "180 दिन" आया है उसे "बाइ माइ" कर दिया जाएगा ।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-IV] सलीम गंगाधरत, प्रमारी मख्य भहाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (1) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमावली को पूर्वेच्यापी प्रभाव से लागू करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पढेगा ।

(2) मुख्य विनियमावली शासकीय राजपत्र में 8 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 409(अ) में भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) प्रकाशित हुई थी और तत्परचात् 21 मार्च, 2001 के सं. सा.का.नि. 199(अ) और 8 जुलाई, 2002 के 473(अ), सितम्बर 29, 2003 के 773(अ), नकम्बर 22, 2003 के 900(अ), अप्रैल 23, 2004 के 279(अ) और जून 8, 2004 के 352(अ) द्वारा टनमें संशोधन किये गए हैं।

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd July, 2008
No. FEMA. 176/2008-RB

# Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2008

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) and sub-section (3) of Section 7, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) (Notification No. FEMA.23/RB-2000, dated 3rd May 2000), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, namely:——

#### Short title and commencement :

- These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2008.
- (ii) They shall deemed to have come into force on the 3rd day of June 2008.

### 2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.23/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter called "the principal regulations"), the following amendments shall be made, namely:—

- (i) in Regulation 9, in sub-regulation (1) for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.
- (ii) in Regulation 9, in sub-regulation (1) in the third proviso, for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.
- (iii) in Regulation 10, for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.
- (iv) in Schedule, in forms GR, SDF and PP for the words "six months" wherever they occur, the words "twelve months" shall be substituted.
- (v) in Schedule, in Software Export Declaration (SOFIEX) Form, for the figures and word "180 days" wherever they occur, the words "twelve months" shall be substituted.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Managerin-Charge

Foote Note: (1) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

- (2) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 409(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide
- (i) No. G.S.R. 199(E) dated March 21,2001
- (ii) No. G.S.R. 473(B) dated July 8,2002
- (iii) No. G.S.R. 773(E) dated September 29,2003
- (iv) No.G.S.R. 900(E) dated November 22,2003
- (v) No.G.S.R. 279(E) dated April 23,2004
- (vi) No. G.S. R. 352(E) dated June 8, 2004.

# अधिसूचना

मुम्बई, । अगस्त, 2008

सं. फेमा 177/आरबी-2008

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2008

सा.का.मि, 577(अ).—बिदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बँक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संबिदा) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

# ा, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन संविदा) (संशोधन) विनियमावसी, 2008 कहा जायेगा।
- (ii) ये विनियम शांसकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगें।

# 2. विनियमों में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (बिदेशी व्युत्पन्न सॅविदा) विनियमाक्ली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फंमा 25/आरबी-2000) में, इसके बाद से इसे प्रधान विनियमावली कहा गया है।

- (i) विनियम 2 में, खण्ड (v) के बाद निम्नलिखित खण्ड डाला जायेगा अर्थात्,
  - "(Vक) मुद्रा वायदा का अभिप्राय मानकीकृत विदेशी मुद्रा स्युत्पन्न संविदा से है जो कि किसी महन्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में भविष्य की विनिर्दिष्ट तारीख में, संविदा की तारीख को विनिर्दिष्ट कीमत पर एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा के क्रय अथवा विक्रय से संबंधित हो किंतु इसमें वायदा संविदा शामिल नहीं है"।
- (ii) प्रधान विनियमावली के विनियम (3) में "विदेशी मुद्रा वायदा संविदा" शब्दों के बाद "मुद्रा वायदों के क्रय अथवा विक्रय से संबंधित/के लिए निष्पादित की जाये" शब्द डाले जायेंगे।
- (iii) प्रधान विनियमावली के विनियम (5) के बाद निम्नलितिखत विनियम डाला जायेगा अर्थात्,

# ''5अ मुद्रा वायदे निष्पादित करने हेतु निष्ठासी भारतीय व्यक्ति के लिए अनुमति

भारत का कोई निवासी व्यक्ति, जोखिम से बचाव हेतु हेज अथवा अन्यया के लिए प्रतिभूति सींवदा (विनियमावली), 1956 की धारा 4 के तहत मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय

धारा 4 के तहत मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों को अधीन मुद्रा घायदे निष्पादित कर सकता है ।''

> [फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-IV] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली शासकीय राजपत्र में 8 मई 2000 के सं. सा.का.नि. 411(अ) में भाग (II), खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनमें संशोधन किये गए हैं :--

सं. सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 28-9-2000

सं. सा.का.वि. 264(अ), दिनांक 9-4-2002

सं. सा.का.नि. 579(अ), दिनांक (9-8-2002

सं. सा.का.नि. 222(अ), दिनांक 18-3-2003

सं. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 9-7-2**0**03

सं. सा.कंप्रनि. 880(अ), दिनांक 11-11-2003

सं. सा.का.नि. 881(अ), दिनांक 11-11-2003

सं. सा.का.नि. 750(अ), दिनांक 28-12-2005

सं. सा.का.नि. 222(अ), दिनांक 19-4-2006

सं. सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 19-4-2006, और

सं. सा.का.नि. 760(अ), दिनांक 7-12-2007

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 1st August, 2008

No. FEMA 177/RB-2008

# Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2008

G.S.R. 577(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section 2 of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) namely:—

#### 1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2008.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) (hereafter referred to as the principal regulations),

- (i) in regulation 2 after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—
  - "(va) 'Currency Futures' means a standardised foreign exchange derivative contract traded on a recognized stock exchange to buy or sell one currency against another on a specified future date, at a price specified on the date of contract, but does not include a forward contract."
- (ii) in regulation 3 of the principal regulations, after the words, "foreign exchange derivative

contract", the words, "or currency futures" shall be inserted.

(iii) after regulation 5 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

# "SA. Permission to a person resident in Judia to enter into currency futures.

A person resident in India may enter into a currency futures in a stock exchange recognized under section 4 of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956, to hedge an exposure to risk or otherwise, subject to such terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the Reserve Bank of India from time to time."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Managerin-Charge Foote Note: — The principal regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 411 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide—

No. G.S.R. 756(E), dt. 28-9-2000,

No. G.S.R. 264(E), dt. 09-4-2002,

No. G.S.R. 579(E), dt. 19-8-2002,

No. G.S.R. 222(E), dt. 18-3-2003,

No. G.S.R. 532(E), dt. 09-7-2003,

No. G.S.R. 880(E), dt. 11-11-2003,

No. G.S.R. 881(E), dt. 11-11-2003,

No. G.S.R. 750(E), dt. 28-12-2005,

No. G.S.R. 222(E), dt. 19-04-2006,

No. G.S.R. 223(E), dt. 19-04-2006 and

No. G.S.R. 760(E), dt. 07-12-2007.